न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 26/2015 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 03.08.2015

कमला बाई पत्नि स्व. श्री काशीराम हजुरी निवासी खेरी, ग्राम पंचायत ऐराल, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–निगराकार

बनाम

1–मदनलाल कुमावत पुत्र रामलाल कुमावत निवासी खेरी, ग्राम पंचायत ऐराल, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–ग्राम पंचायत ऐराल जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ऐराल पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3–पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जरिये विकास अधिकारी, पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ (राज.)

–विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत ऐराल द्वारा जारी पट्टा 4431 एवं मिसल सं. 20/1990–91 आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 11.04.1997

उपस्थिति : 1– श्री भारत भूषण प्रधान, अधिवक्ता निगराकार
2– श्री दिनेश चन्द्र दायमा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3– श्री अनिल बोहरा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3

निर्णय

दिनांक 06.03.2018

निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की गई है कि विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत ऐराल द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 4431 दिनांक 11.04.1997 न्याय नियम एवं वाकियाती तथ्यों के विपरीत अनियमिततापूर्ण कार्यवाही कर जारी किया गया है जो कि कानून के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर पट्टा निरस्त फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। ग्राम पंचायत ऐराल से पट्टे से संबंधित पत्रावली/रेकार्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत से तलबीदा पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई। विपक्षी संख्या 1

की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामलाल दायमा ने तथा विपक्षी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल बोहरा ने अधिकार पत्र पेश एवं जवाब पेश किया। विपक्षी संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। बहस प्रकरण अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई।

निगराकार के अधिवक्ता ने निगरानी मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत ऐराल के सरपंच ने ग्राम ऐराल मे स्थित ब्लॉक बी में एक भूखण्ड जिसकी मिसल संख्या 20/90-91 नाप 40 बाई 147 है जो कि कई वर्षों से निगराकार कमलाबाई के कब्जे में चला आ रहा है तथा कमलाबाई उस भूखण्ड पर निवासरत है परन्तु गैर निगराकार संख्या 1 ने ग्राम पंचायत ऐराल से मिली भगत कर उक्त भूखण्ड का पट्टा अपने नाम दर्ज करवा लिया। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम के प्रावधानों की कोई पालना नहीं गई। नियम 146 के तहत कोई निरीक्षण नहीं किया गया, नियम 148 के तहत एक माह का कोई आपत्ति नोटिस जारी नहीं किया गया। गैर निगराकार संख्या 1 आवंटन की पात्रता ही नहीं रखता है क्योंकि गांव ऐराल में उसके स्वयं का पक्का मकान है और गैर निगराकार संख्या 1 काफी सम्पन्न और धनी व्यक्ति है उसके पास पहले से कृषि भूमि है। जारी पट्टा अधिनियम के न्याय नियमों के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी करने के पश्चात् निगराकार ने एक याचिका क्रमांक 101/2011 दिनांक 05.12.2011 को जिला सतर्कता समिति में प्रस्तुत की जिस पर जिला सतर्कता समिति की बैठक में दिनांक 27.04.2012 को यह निर्णय लिया गया कि जिस भूमि पर निगराकार का पिछले काफी वर्षों से कब्जा है उस भूखण्ड को जो विक्रय किया गया है उसके पट्टे को निरस्त कराने हेतु नियमानुसार रेफरेन्स की कार्यवाही करावें। इस प्रकार उक्त भूखण्ड पर निगराकार का विधिक कब्जा माना गया तथा विकास अधिकारी, पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया गया कि उक्त पट्टे को निरस्त कराने हेतु नियमानुसार रेफरेन्स की कार्यवाही करें। इस प्रकार गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जो विधि-विपरीत पट्टा जारी किया गया है वो निरस्त योग्य है अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत ऐराल द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 11.04.1997 निरस्त फरमाया जावे।

गैर निगराकार संख्या 1 के अधिवक्ता ने कथन किया कि गैर निगराकार संख्या 1 ने गैर निगराकार संख्या 2 से विधिनुरूप आबादी क्षेत्र खेरी में भूखण्ड क्रय किया है जो गैर निगराकार के आधिपत्य एवं स्वामित्व का है। निगराकार विवादित भूखण्ड पर जबरन अवैध दस्तंदाजी कर उक्त भूखण्ड के पूर्वी दिशा में अवैध कब्जा करने की नियत से गाय बांध कर गोबर की रोडी डालने लग गयी है। गैर निगराकार संख्या 1 ने ग्राम पंचायत ऐराल से विधिवत मिसल संख्या 20/90-91 कायम करा पंचायत अधिनियम के नियम 156 के तहत ब्लॉक बी में प्लॉट संख्या 2/1 को 17459/-रू. अदा कर दिनांक 11.04.1997 को प्राप्त

किया है तभी से गैर निगराकार संख्या 1 का अपने द्वारा क्रय किये गये भूखण्ड पर आधिपत्य चला आ रहा है। निगरानी मनगढन्त तथ्यों पर आधारित होकर निरस्त योग्य है।

विपक्षी संख्या 3 पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूखण्ड पर निगराकार का कब्जा होने का तथ्य स्वीकार है। विवादित भूखण्ड के संबंध में ग्राम पंचायत ऐराल द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी अनुसार गैर निगराकार मदनलाल कुमावत निवासी खेरी द्वारा विवादित भूखण्ड को मिसल संख्या 20/90-91 फैसल दिनांक 11.04.1997 में प्रस्ताव संख्या 3/30.08.97 के जरिये मूल राशि 8820/-रू. एवं ब्याज राशि 10,639/-रू. जमा कर दिनांक 10.10.2008 को पट्टा जारी कराया गया जो पूर्णतः आवंटन नियमों के विपरीत है। गैर निगराकार द्वारा राशि समय पर जमा नहीं कराई गई जिसका ऑडिट ऑब्जेक्शन भी आया है। ग्राम पंचायत द्वारा भूमि आवंटन से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की कोई जानकारी नहीं की गई एवं विवाद के जिला जन अभियोग एवं निराकरण समिति में प्रस्तुत होने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि विवादित भूखण्ड पर निगराकार कमला बाई का कब्जा काफी समय से चला आ रहा था एवं इस विवाद के स्पष्ट होने के पश्चात समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि जिस भूमि पर प्रार्थीया का पिछले काफी वर्षो से कब्जा है उस भूखण्ड के पट्टे को निरस्त कराने हेतु नियमानुसार रेफरेन्स की कार्यवाही की जावे जिसके अनुक्रम में जवाबदेहन्दा द्वारा सचिव ग्राम पंचायत ऐराल को नियमानुसार रेफरेन्स की कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया गया। इस प्रकार निगराकार संख्या 1 को जारी किया गया उपरोक्त पट्टा विधि विपरीत है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन कर, पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त पट्टे से संबंधित पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि का गहनता से अवलोकन किया। ग्राम पंचायत से प्राप्त पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व पूर्ण जांच नहीं कर मात्र कागजी खानापूर्ति की है। ग्राम पंचायत द्वारा आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 10.03.1991 पर सरपंच अथवा ग्राम पंचायत ऐराल की कोई छाप अंकित नहीं है तथा न ही सूचना पत्र को ग्राम के सार्वजनिक स्थान पर चस्पा कराने संबंधी कोई साक्ष्य/सबूत पत्रावली में उपलब्ध है एवं सूचना पत्र पर किसी के हस्ताक्षर भी नहीं है।

प्रभारी अधिकारी, सतर्कता अनुभाग कार्यालय हाजा से सतर्कता समिति के प्रकरण संख्या 101/2011 निर्णय दिनांक 27.04.2012 से संबंधित पत्रावली तलब की गई। उक्त पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि समिति ने भी जांच में प्रश्नगत भूखण्ड पर निगराकार कमला बाई का काफी वर्षो से कब्जा प्रमाणित मानते हुए उक्त भूखण्ड के पट्टे को निरस्त कराने हेतु नियमानुसार रेफरेन्स की कार्यवाही करने तथा विकास अधिकारी पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ को प्रश्नगत भूखण्ड पर निगराकार का कब्जा होते हुए भी क्यों कर अन्य को भूखण्ड

आवंटन किया गया इसकी स्थिति स्पष्ट करने को निर्देशित किया गया जो कि विकास अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं की गई तथा न ही समिति के निर्णय की पालना में उक्त पट्टा निरस्त कराने हेतु निगरानी प्रस्तुत की गई। गैर निगराकार संख्या 1 द्वारा भूखण्ड की राशि भी समय पर जमा नहीं कराई गई जिसका ऑडिट ऑब्जेक्शन भी हुआ है। पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जरिये विकास अधिकारी, पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ ने भी विवादित भूखण्ड के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा भूमि आवंटन से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की कोई जानकारी नहीं करना तथा विवादित भूखण्ड पर निगराकार कमलाबाई का कब्जा माना है एवं जारी पट्टा पूर्णतः आवंटन नियमों के विपरीत होना बताया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत ऐराल द्वारा जरिये मिसल संख्या 20/90-91 फैसल दिनांक 11.04.97 से गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा क्रमांक 4431 दिनांक 10.10.2008 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत ऐराल को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्यों के संबंध में राजस्थान पंचायतराज अधिनियम के तहत पुनः जांच कर प्रचलित प्रावधानों के तहत सभी पक्षकारान को सुना जाकर पुनः नए सिरे से पट्टा जारी करने की कार्यवाही करे।

'निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।'

(इन्द्रजीत सिंह)